

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

जसपाल सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 63/2022

निर्णय दिनांक :- 27.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी
जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार
हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या
99,95,84,86,07,09 में रहन एस.बी.बी.जे. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर रहन
एस.बी.आई शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के
शेष अंकन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.06.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	00	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	00	00	योग	00	00



क्रमांक: रीडर/ 2022/315

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 07.06.2022

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर